प्रेषक,

संख्या-1/880/78-1-2013-81इले0/98

जी0पी0 कमल
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन 1

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ:दिनांक 19 सितम्बर, 2013

विषय: प्रदेश में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

भारत सरकार की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) परियोजना के अन्तर्गत् प्रदेश में ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर (OFC) केबिल बिछाये जाने है । उक्त कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा स्पेशल परपज वेहिकिल के रूप में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) का चयन किया गया है । उक्त परियोजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन दिनांक 26-10-2012 प्रति संलग्न को हस्ताक्षरित किया जा चुका है ।

2- परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित व्यवस्थाएं लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किये जाने हेतु ऑप्टिकल फाबर केबिल बिछाने जाने के संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व में पडने वाले भूमि की खुदाई से पूर्व विभिन्न स्तरों से अनुमति प्राप्त करने में आने वाली जटिलताओं को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, को प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न

http://shasanadesh.up.nic.in

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan,Agra-282001

संस्थाओ से परियोजनाविध में पुन: अनुमति न लेनी पडे, इस हेतु ब्लैंकेट अप्रूवल एतद्‌द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अन्तर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबिल (OFC) बिछाने हेतु नि:शुल्क अनुमति एवं अधिकार (RoW) होगा तथा कोई भी रीइन्स्टेटमेंट शुल्क नहीं लिया जायेगा

(2) उक्त सम्झौता ज्ञापन के प्रस्तर-5.2 में की गयी व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा की जायेगी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा रीइन्स्टेटमेंट कार्य इस भाँति किया जाएगा कि सड़क के किनारे खोदी गयी सतह भरसक उसकी मूल स्थिति में ले आई जाए । सड़क की कटान को बचाने के लिए यथाशक्ति प्रयास किया जायेगा । पक्की सड़क को पार करने के लिए एच0डी0 अथवा हॉरिजेन्टल बोरिंग का प्रयोग किया जायेगा ताकि सड़क को होने वाली क्षति को कम से कम किया जा सकें।

(3) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समन्वय के लिए आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा ।

(4) चूँकि ग्राम पंचायतों तक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा कनेक्टीविटी प्रदान किया जाना स्थानीय जनता, ग्राम पंचायत एंव राज्य सरकार के हित में है अत: राज्य सरकार के स्थानीय निकाय, राज्य सरकार की कम्पनियों तथा एजेन्सियों द्वारा राइट ऑफ वे (RoW) चार्जेज अधिरोपित नहीं किये जायेंगे । इस परियोजना में राज्य सरकार का अंशदान माना जायेगा ।

(5) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत कनेक्टीविटी प्रदान किये जाने हेतु, स्थापित किये जाने वाले OPGW/ABSS केबिलों की स्थापना के लिए राज्य सरकार की वितरण कंपनियों/पारेषण

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan, Agra-282001

कंपनियों द्वारा वितरण लाइनों/पारेषण लाइनों/उप पारेषण लाइनों पर शुल्क रहित राइट ऑफ वे प्रदान किया जायेगा ।

(6) परियोजना से संबन्धित उपकरणों की स्थापना/उपकरणों को रखने के लिए यथाआवश्यकता शुल्क भुगतान के आधार पर ग्राम पंचायत भवन अथवा अन्य समुचित स्थान पर स्थल एवं बिजली उपलब्ध कराई जाएगी तथा ऐसे स्थानों पर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के स्टाफ अथवा प्रतिनिधि को ऑपरेशन एवं मेन्टीनेन्स के लिए अनुमति होगी ।

<u>संलग्नक यथोक्त।</u>

भवदीय,

(जी0पी0 कमल)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या-1/880/78-1/2013 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अवस्थपना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 शासन ।
3. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग भारत सरकार।
4. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एल0सी0/यू0पी0 डेस्को ।
6. गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(निर्मला श्रीवास्तव)
अनु सचिव

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan, Agra-282001

http://shasanadesh.up.nic.in